

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 76/2022

अनवान : -

1. गंगाराम पुत्र रामकरण जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर।

- सायल

बनाम्

1. राजवीर पुत्र दशरथ जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर।

- गैरसायल

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :- श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता सायल
श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय

दिनांक: 27/5/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 2 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 25/25 के प0न0 360/407 के मु0न0 20 के किला न0 4 की 0.253 हैक्ट, 5 की 0.2270 हैक्ट, 6 की 0.2277 हैक्ट, 7 की 0.253 हैक्ट, प0न0 361/407 मु0न0 21 के किला न0 1 की 0.253, 2 की 0.253 हैक्ट, 3 की 0.253 हैक्ट, 4 की 0.235 हैक्ट, 8 की 0.235 हैक्ट, 9 की 0.253 हैक्ट, 10 की 0.253 हैक्ट, 82/15 की 0.506 हैक्ट कुल 2.783 हैक्ट कृषि भूमि स्थित है।

गैरसायल सायल के दक्षिण पासा का चिपता पड़ौसी है गैरसायल उपरोक्त वर्णित वाद भूमि की सींव तौड़ कर अंदर घुसने के लिए प्रयासरत है। गैरसायल अपने मकसद की पूर्ती हेतु सायल के दक्षिणी सिंव पर खड़े पेड़ झाड़ी व सरकंडे आदि काट कर अपने खेत ले गया तथा सायल के खेत की सींव को नष्ट कर दी तथा सायल के खेत के अन्दर तक घुस कर ट्रैक्टर आदि चलाकर सायल के खेत को अपने खेत में मिलाकर जबदीया काबिज होना चाहता है। अतः सायल गैरसायल को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 2 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 25/25 की कुल 2.783 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई कि अप्रार्थीगण वाद भूमि मदाखतल बैजा न करे।

01
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गैरसायल को तलब किया गया। गैरसायल संख्या 1 ने जवाब दावा इस आशय का पेश किया की किला न0 4 की 1 बिघा भूमि गैरसायल स0 1 की खरीद की हुई है। गैरसायल ने एक दावा अनवानी राजवीर बनाम गंगाराम मु0न0 64/01 किया गया जिसका निर्णय दिनांक 21.06.2007 को वाद वादी डिक्री फरमाया गया गैरसायल गंगाराम को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया गया तथा राजस्व रिकार्ड से नाम कलमजन किया जावे के आदेश हुए। इस निर्णय से व्यथित होकर सायल माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के यहा अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 12.09.11 को खारिज फरमायी गयी। गैरसायल कि किला न0 4 की 1 बीघा भूमि खरीद की हुई है एवं गैरसायल के कब्जा काश्त में है सायल ने स्वयं गैरसायल की उक्त 1 बीघा भूमि खरीद होना स्वीकार किया है। यह भूमि पूर्व पांचु वल्द मेघा जाट की थी पांचु के जरिये बैयनामा दिनांक 03.07.1970 को गंगाराम को विक्रय कर दी जबकि प0न0 361/407 के मु0न0 21 के किला न0 4 क 1 बीघा भूमि राजवीर को दिनांक 05.03.1970 को विक्रय कर दी थी। बैयनामा के निर्णय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है पूर्व में विवादित भूमि का इसी न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावों के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है?

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार उभयपक्षों के द्वारा निवेदन किया जा रहा है उनके द्वारा भूमि पंचू से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा के खरिद की गई है अर्थात सायल एवं गैरसायल दोनो के द्वारा भूमि पंचू से खरीद की गई है जो दो दिवस के अन्तराल में खरीद की गई है अर्थात प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षों के पक्ष में पाया जाता है।

सायल एवं गैरसायल ने जरिये बैयनामा भूमि खरीद की गई है दोनो पक्षों में से एक को ही वादग्रस्त भूमि प्राप्त हो सकती है वादग्रस्त भूमि किसे प्राप्त होगी यह तथ्य वाद में जबाब दावा , तनकीयाज , साक्ष्य सबुतों के आधार पर ही तय हो सकता है क्योंकि पूर्व में भी इस भूमि के सम्बन्ध में वाद विचाराधीन रहे है जो अपीलीय न्यायालय में विचाराधीन है अर्थात सुविधा का सन्तुलन उभयपक्षों के पक्ष में तय किया जाता है।


21

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद भूमि वर्तमान में किसके कब्जा काश्त में के बिन्दु को यदि प्रार्थना पत्र में तय किये जाने से वाद का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा साक्ष्य सबुतों के आधार पर ही तय हो सकता है कि वाद भूमि का हकदार कौनसा पक्षकार है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि सायल के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार है सायल का कथन है कि गैरसायल उसकी भूमि की सीव डोल मिस्मार कर रहा है को पाबन्द करने का है इस प्रकार दोनो ही पक्षकार एक दुसरे को पाबन्द करवाना चाहते है किसी भी एक पक्षकार को पाबन्द करने पर उसके हकों का हनन एव अपूर्णिय क्षति हो सकती है यह तथ्य तो मुल वाद में तय होगा की वाद भूमि का हकदार कौन है जब तक मुल वाद में हको का निर्धारण नही हो जाता तब तक उभयपक्षो को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है कि वह वाद भूमि की रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाई रखी जावे ताकि उभयपक्षो के हकों की सुरक्षा हो सके और अन्य विवाद पैदा ना हो वाद के निस्तारण तक उभयपक्षो को पाबन्द जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाकर उभयपक्षो को पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा चक 2 आरएमएस के प0न0 361/407(21) किला न0 4 की वाद के निस्तारण तक रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाई रखी व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/05/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर